

B.A. PART-I (H)

2ND PAPER

①

[EXECUTIVE]

Ques:- "स्विस संघीय परिषद् न तो संसदात्मक है और न अध्यात्मक।" इस कथन की विवेचना कीजिए।

"The Swiss Federal Council is neither parliamentary nor presidential." Discuss this Statement.

Ans:- वास्तव में संघीय परिषद् [Federal Council] की स्थापना विश्व में अमूर्त तथा विविध है। यह न तो विशुद्ध रूप से ब्रिटिश मंत्रीमंडल से ही मिलती है और न अमेरिका की अध्यात्मक कार्यपालिका (Presidential Executive) के ही समान है फिर भी इसमें दोनों के गुण और अन्तर्भाव हैं जो इस प्रकार हैं:-

- [1.] विचित्र कार्यपालिका
- [2.] बहुल कार्यपालिका
- [3.] निर्दलीय कार्यपालिका
- [4.] विशेषज्ञों की कार्यपालिका
- [5.] स्थायी कार्यपालिका
- [6.] व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन
- [7.] सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव
- [8.] संसदीय तथा अध्यात्मक प्रणालियों का मध्यवर्ग।

(4) विचित्र कार्यपालिका :- स्वीस संघीय परिषद् के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए स्ट्रॉंग (C.F. STRONG) ने लिखा है कि - विश्व की वैधानिक प्रणालियों में स्वीस कार्यपालिका अनुपम है। स्विट्जरलैंड के सभी राजनीतिक संस्थाओं (Political Institutions)

में संघीय कार्यपालिका सर्वाधिक विलक्षण है, विश्व के अन्य देशों में या तो संसदीय कार्यपालिका (Parliamentary Executive) पाई जाती है अथवा अध्यक्षीय कार्यपालिका (Presidential Executive)। इस प्रकार रिपब्लिकन देशों की कार्यपालिका का यह विशेषण है कि वह न तो अध्यक्षीय कार्यपालिका है और न तो संसदीय।

(2) बहुल कार्यपालिका [Plural Executive] :-

रिपब्लिकन देशों की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है इसकी तुलना में ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि में कार्यपालिका एकल है उन देशों में कार्यपालिका के संबंध में अन्तिम उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति अथवा सदस्य की स्थिति अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है पर संघीय परिषद् इन सब से निराली है कारण यह है कि कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित रहती है इस समूह में सभी व्यक्ति एक-दूसरे के समान पद वाले हैं यहाँ तक की परिषद् का अध्यक्ष भी कोई विशेषाधिकार नहीं रखता परिषद् एक संसदीय संस्था के समान ही अपने अध्यक्ष की स्थिति बराबर वाली है एक की है उसमें अपने साथियों के सुझाव आदि के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

(3) द्वितीय कार्यपालिका :-

विश्व के अधिकांश देशों में

(3)

कार्यपालिका का संबंध है किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है परन्तु राष्ट्रीय संघीय परिषद् सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी सदस्यता उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। ~~उनकी~~ परिषद् के सदस्य दलीय भावना से कार्य नहीं करते। वे निरपेक्ष रूप से ~~सर्व~~ राष्ट्र की सेवा करते हैं। इस संबंध में इंदिरा ने विचार है कि परिषद् का रूप दलबंदी पर आधारित नहीं है वह दल की सीमा से अलग है। सदन में वह न तो दल का कार्य करता है और न ही सदन के विभिन्न दलों के कार्यों पर विचार करता है।

(4) विशेषज्ञों की कार्यपालिका :- [Advisory Executive]

संघीय परिषद् में विभागों के वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर न होकर प्रशासनिक कुशलता के आधार पर होता है। सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं। इस कारण उन्हें लोकसेवा के अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना पड़ता है।

(5) स्थायी कार्यपालिका :- [Permanent Executive]

संघीय परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए होता है। संघीय सभा में उनकी नीति का विरोध होने पर एंपन की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में रिपोर्ट ने कहा है कि - संसदीय देशों में मंत्री आते-जाते रहते हैं। वहाँ वास्तविक शासन तो अधिकारी करते हैं। परन्तु रि-वल्जुजमेंट की कार्यपालिका ~~करते~~ सत्ता की वास्तविक अधिकारी हैं।

4

(6) अवस्थापिका द्वारा निर्वाचन :- [Election of executive]

अमेरिका में कार्यपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ब्रिटेन में मंत्रीगण राजा द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं पर स्विट्जरलैंड की स्थिति इसके विपरीत है वहाँ कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव अवस्थापिका द्वारा किया जाता है।

(7) सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव :- [Absence of grouping responsible]

संघीय परिषद् के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य नहीं करते हैं वे अलग-अलग अपने विभागों के प्रति उत्तरदायित्व हैं। इंग्लैंड की मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। परंतु स्विट्जरलैंड में सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव के दर्शन होते हैं।

(8) संसदीय तथा अख्यत्वात्मक प्रणालियों का मध्यमार्ग :- [Medium Rout the Parliamentary and Presidential]

स्विट्जरलैंड कार्यपालिका का यह अनूठा पन है कि वह न तो संसदात्मक है और न तो अख्यत्वात्मक है इसके विपरीत दोनों प्रणालियों की विशेषताओं का मिश्रण है। मुन्सरी ने कहा है कि स्विट्जरलैंड कार्यपालिका में दोनों प्रणालियों के गुणों के अंश और अंशों से बचने का प्रयास किया गया है। मुन्सरी ने अन्य स्थान पर कहा है कि स्विट्जरलैंड संघीय परिषद् संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएँ के गुणों से युक्त परंतु

5

दोनों से मुक्त भी है। यह बहुत कार्यपालिका ही है
है भी इसमें एकतापूर्ण कार्यपालिका के गुण
वापे पाते हैं।

स्विस कार्यपालिका संसदीय इस लिए
है कि:-

[1]. उसके सदस्यों का निर्वाचन व्यवस्थापिका
द्वारा तथा प्रायः व्यवस्थापिका से ही होता है।

[2]. स्विस कार्यपालिका के सदस्यों को व्यवस्था-
पिका की बैठकों में उपस्थित रहने और
विधेयकों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

[3]. स्विस संसदीय कार्यपालिका के सदस्य
व्यवस्थापिका से विधेयक पारित करवाते हैं।

स्विस संसदीय परिषद् संसदीय तथा अख्यतीय
प्रणालियों के बीच का मार्ग है, क्योंकि इसकी कुछ
विशेषताएँ भी हैं :-

[a]. संसदीय उत्तरदायित्व पर संसदीय अस्थिरता
के विमोक्षण।

[b]. अख्यतीय स्थायी अख्यतीय अनुत्तरदायित्व
के विमोक्षण।

[c]. उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व।

निष्कर्ष :-

Conclusion.

इस प्रकार स्विजरलैंड की संसदीय परिषद्
की व्यवस्था निराली व्यवस्था है इसमें एक और
इंग्लैंड की संसदीय प्रणालि का उत्तरदायित्व प्राप्त पाता

6

है इस संदर्भ में टायरी ने लिखा है कि:-
 ऐसी शासन प्रणाली जो अपने प्रकार की
 निराली है जो व्यवसायिक तथा मंत्रीमंडल
 प्रणाली से भिन्न है परन्तु जिसमें दोनों के
 कुछ न कुछ लक्षण पाये जाते हैं, वह
 रिपब्लिकन की है।

The end.

SWITZERLAND

- उपस्थापिका → संघीय सभा (ASSEMBLY)
- द्वितीय उच्च सदन → राज्य परिषद् (Council of States)
- प्रथम निम्न सदन → राष्ट्रीय परिषद् (National Assembly)
- शासन व्यवस्था → द्वि-सदनात्मक (bicameralism)
- सांविधानिक संशोधन → दो प्रकार के हैं:-
 - (i) सांविधानिक आरंभ (Constitutional initiative)
 - (ii) सांविधानिक जनमत संग्रह (Constitutional referendum)

